राजपत्रित हकदारी कृत्य को वापस लेना

प्रश्न संख्या \*2. श्री वरुण चौधरी (मुलाना):

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वारा निष्पादित राजपत्रित हकदारी कृत्य को वापस लेने के कारण क्या है; तथा

(ख)क्या राज्य के सरकारी खजाने के हित में इस मामले की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री मनोहर लाल, मुख्य मंत्री

(क) महालेखाकार के प्राधिकार के आधार पर, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत हकदारियों के आहरण की व्यवस्था के पत्र क्रंमाक दिनांक 12 जुलाई, 1976 (अनुलग्नंक-I) द्वारा प्रथम सितम्बर, 1976 से बन्द कर दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों विनियम और आहरण की प्रणाली को सरल बनाने के लिए किया गया था। पूर्व व्यक्तिगत राजपत्रित सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित खजाना के माध्यम से महालेखाकार द्वारा सूचित दरों पर अपने बिलों को आहरण कर रहे थे। अनुदेश 12 जुलाई, 1976 जारी करने के बाद, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तें और दावे गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामलों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित करने शुरू किये गये थे। नये अनुदेश में मैरिट थी क्योकिं अब से कोई राजपत्रित सरकारी कर्मचारी अपने स्वंय के वेतन और भतों का आहरण नहीं कर सकता।

(ख) नहीं, श्री मान

नोट के लिए पैड

1. पंजाब खजाना नियम, वॉल्यूम-। के नियम 22 के अनुसार, "किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के वेतन, छुट्टी-वेतन या भत्ते, या राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को भुगतानयोग्य पुरस्कार, या कोई पेंशन, जब तक महालेखाकार द्वारा ट्रेजरी अधिकारी को ऐसी दर, जिस पर भुगतान किया जाएगा, सूचित नहीं की गई है, को पूरा करने के लिए किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।" बशर्ते कि सरकार, विशेष कारणों से और महालेखाकार की सहमति से, इस नियम के प्रावधानों का अभित्यजन कर सकती है। इसके तहत उल्लिखित अपवाद के अनुसार, राजपत्रित सिविल पद धारण करने वाले अधिकारियों के दावे, हालांकि, गैर-राजपत्रित सिविल पद धारण करने वालों से अलग किए जाएंगे।

2. महालेखाकार के प्राधिकार के आधार पर, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत हकदारियों के आहरण की व्यवस्था के पत्र क्रंमाक दिनांक 12 जुलाई, 1976 (अनुलग्नंक-I) द्वारा प्रथम सितम्बर, 1976 से बन्द कर दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों विनियम और आहरण की प्रणाली को सरल बनाने के लिए किया गया था। पूर्व व्यक्तिगत राजपत्रित सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित खजाना के माध्यम से महालेखाकार द्वारा सूचित दरों पर अपने बिलों को आहरण कर रहे थे। अनुदेश 12 जुलाई, 1976 जारी करने के बाद, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तें और दावे गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामलों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित करने शुरू किये गये थे। नये अनुदेश में मैरिट थी क्योकिं अब से कोई राजपत्रित सरकारी कर्मचारी अपने स्वंय के वेतन और भतों का आहरण नहीं कर सकता।

**Listed for 15.12.2023**

**Withdrawal of Gazetted Entitlement Function**

**Question No. \* 2 Shri Varun Chaudhry (Mullana)**

Will the Chief Minister be pleased to the state :-

1. the reasons for withdrawing the Gazetted Entitlement Function performed by A.G. (Accounts and Entitlement); and
2. whether there is any proposal under consideration of the Government to review the matter in the interest of State exchequer?

**Shri Manohar Lal, Chief Minister**

1. The arrangement of drawl of personal entitlements by Gazetted Government Servants themselves, on the basis of authorization from Accountant General, was discontinued from 1st September, 1976 vide letter No. dated 12th July, 1976 (Annexure – I). It was apparently done to simplify the system of regulation and drawl of pay and allowances of the Gazetted Government Servants. Earlier the individual Gazetted Government Servants were drawing their own bills at the rates intimated by the Accountant General through concerned treasury. After issuance of instructions dated 12th July, 1976, pay & allowances and claims of Gazetted Government Servants were started to be drawn by Drawing and Disbursing Officer (DDO) like in the case of Non Gazetted Government Servants. The new instructions had merit since no government gazetted servants could henceforth draw his or her own pay and allowances.
2. No, Sir.

-----

**NOTE FOR PAD**

1. As per Rule 22 of the Punjab Treasury Rules, Volume-I, no withdrawal shall be permitted in order to meet the pay, leave-salary or allowances of a Gazetted Government servant, or a reward or honorarium payable to a Gazetted Government servant, or any pension until the Accountant-General has intimated to the Treasury Officer the rate at which payment shall be made; provided that the Government may, for special reasons and with the concurrence of the Accountant-General, waive the provisions of this rule. As per exception mentioned there-under, the claims of Officers who hold Gazetted civil posts shall, however, be drawn separately from those who hold non-gazetted civil posts.
2. The arrangement of drawl of personal entitlements by Gazetted Government Servants themselves, on the basis of authorization from Accountant General, was discontinued from 1st September, 1976 vide letter No. dated 12th July, 1976 (Annexure – I). It was apparently done to simplify the system of regulation and drawl of pay and allowances of the Gazetted Government Servants. Earlier the individual Gazetted Government Servants were drawing their own bills at the rates intimated by the Accountant General through concerned treasury. After issuance of instructions dated 12th July, 1976, pay & allowances and claims of Gazetted Government Servants were started to be drawn by Drawing and Disbursing Officer (DDO) like in the case of Non Gazetted Government Servants. The new instructions had merit since no government gazetted servants could henceforth draw his or her own pay and allowances.